उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-6
संख्या-65/2015/876/एक-6-2015
लखनऊः दिनांक 17 अगस्त, 2015

प्रश्न अनुभाग,
विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश शासन।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2015 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-134 के उत्तर की 120 प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

(महेन्द्र सिंह)
अनुभाग अधिकारी

संख्या-876 (1)/एक-6-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि राजस्व अनुभाग-14 को उक्त प्रश्न के उत्तर की 20 प्रतियॉ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
अनुभाग अधिकारी

upassemblyquestion@gmail.com

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2015 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-134 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
134- क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी रोड कटरा, मनमोहन पार्क कटरा तथा बख्तियारी में सैकड़ों पुश्त दर पुश्त से बसे नागरिकों को प्रभारी अधिकारी राजकीय आस्थान इलाहाबाद द्वारा एक दिन की नोटिस देकर उजाड़ने के विरूद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-09-2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ?	जी, नहीं।
यदि हॉ, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी ?	जिलाधिकारी, इलाहाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-09-2014 जिलाधिकारी, इलाहाबाद को यथा समय प्राप्त हुआ था। आनन्द हास्पिटल से आनन्द भवन तक रोड के किनारे बसे व्यक्तियों से भूमि के पट्टे/स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दी गयी थी, जिनमें से अधिकांश व्यक्तियों द्वारा उत्तर/साक्ष्य हेतु समय बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया। इन व्यक्तियों के अनुरोध एवं मा0 विधायक जी के उक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा नोटिस का उत्तर /साक्ष्य दिये जाने हेतु समय बढ़ा दिया गया। जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा उन व्यक्तियों के विरूद्ध बेदखली/ध्वस्तीकरण की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिन व्यक्तियों को नोटिस दी गयी थी।
यदि नहीं, तो क्यो ?	प्रश्न नहीं उठता ।

शिवपाल सिंह यादव

राजस्व मंत्री ।

unassemblyquestion@gmail.com